न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 60/20

GCMS NO 2020/00116

1. मनफूल पुत्र स्व.मूला जाति जाटव(बैरवा) निवासी धूगड तहसील करौली हालवास पैटोली तहसील व जिला करौली (फौत)
   1/1. रूपनारायण पुत्र स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/2. निरंजन पुत्र स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/3. नरसी पुत्र स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/4. धनेसरी पुत्री स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/5. समय बाई पुत्री स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/6. पतिदेवी पत्नि स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
2. जगराम पुत्र स्व.मूला जाति जाटव निवासी घूगढ तहसील करौली हालवासी पैटोली तहसील व जिला करौली (फौत)
   2/1. श्रीफूल पुत्र स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/2. श्रीमोहन पुत्र स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/3. उदयराज पुत्र स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/4. रिकेश कुमार पुत्र स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/5. गोरंती पुत्री स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/6. हल्की देवी पुत्री स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/7. रामपति पत्नि स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
3. परसादी पुत्र विशनी जाति जाटव, निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
4. दोज्या पुत्र विशनी जाति जाटव निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
5. कमल पुत्र विशनी जाति जाटव निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
6. मौजी पुत्र विशनी जाति जाटव निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
7. केदार पुत्र रामसहाय जाति खटीक निवासी खोहरी तहसील व जिला करौली

अपीलांटगण

बनाम

1. धन सिह पुत्र ठंडी जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
2. गुनीराम पुत्र ठंडी जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
3. सुनीता पुत्र ठंडी जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
4. रेशम पत्नि स्व.रामसिह जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
5. विजय सिह पुत्र स्व.रामसिह जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
6. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र स्व.रामसिह जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
7. सीमा पुत्री स्व.रामसिह जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
8. कंचन पत्नि स्व.ठंडी जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
9. रामस्वरूप पुत्र केशो जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
10. पूरन पुत्र बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
11. अमृतलाल पुत्र स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
12. गुडडी पुत्री स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

13. भीरा पुत्री स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
14. लखन बाई पुत्री स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
15. सोमोती पत्नि स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
16. जगन पुत्र लटूरा जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
17. शोभाबाई पत्नि पसीदा जाति जाटव निवासी ग्राम मंहार तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
18. मोटा बाई पत्नि श्रीलाल निवासी खोहरी तहसील व जिला करौली(फौत)
18/1. रामसिह पुत्र स्व.श्रीलाल जाति जाटव निवासी खोहरी तहसील व जिला करौली
19. हरि पुत्र मन्नू निवासी भोलुपुरा पो0मकनपुर तहसील व जिला करौली
20. रामप्रसाद पुत्र दौली जाति जाटव निवासी भायपुर तहसील व जिला करौली
21. रामेश्वर पुत्र दौली जाति जाटव निवासी भायपुर तहसील व जिला करौली
22. किरोडी पुत्र दौली जाति जाटव निवासी भायपुर तहसील व जिला करौली
23. धनश्याम पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी भायपुर तहसील व जिला करौली
24. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 01/97 निर्णय दिनांक 13.3.2001 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री एस.एस.शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री हेमराज सैनी

दिनांक 23.02.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.3.2001 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के पिता ठण्डी व रेस्पो0 संख्या 9 रामप्रसाद तथा 10 ता 15 के पिता/पति बद्री एवं 16 के पिता लटूरा द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 20.63,70,97,108,109,110,115,116,120,122 व 124 कुल किता 12 कुल रकबा 16 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम धुगड तहसील करौली मे स्थित है। विवादित भूमि सांमलिया मृतक के खातेदारी व कब्जे काश्त की है । सामंलिया ने अपने जीवनकाल मे वादी न0 1 को अपनी तमाम चल व अचल सम्पति की वसीयत बैसाख सुदी 2 सम्वत 2034 मे कर दी। वादीगण सांमलिया के जीवनकाल से ही वसीयत के पूर्व से ही विवादित आराजीयात पर काबिज रहते चले आ रहे है और उनकी मृत्यु के बाद से आज तक बदस्तुर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण गैरसायलान न0 1 ता 7 दीगर गांव के रहने वाले है इनका आज तक विवादित भूमि पर कभी किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा है। लेकिन वर विनाय बदनियती मात्र राजस्व रिकार्ड के आधार को लेकर इस साल 20.5.92 से वादीगण सायलान के कब्जे काश्त मे मदालखत करने लग गये है और ऐलानिया धमकी दे रहे है कि विवादित भूमि को गैरसायल न0 9 के यहॉ गिरबी रख कर कर्जा लेगे और सायलान के कब्जे काश्त मे मदालखत करेगे। सायलान का परिवार इसी भूमि पर काश्त कर जीवित है यदि गैरसायलान द्वारा रहन बय कर दी गई या काश्त नही करने दिया तो सायलान भूखे मर जावेगे। और हमे अपूर्णनीय क्षति होगी। दावे मे समय लगेगा । दौराने दावा गैरसायलान को जरिये टी आई से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजीयात 20.63,70,97,108,109,110,115,116,120,122,124,14,103,104 निस्फ हिस्सा सांमलिया पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पुत्र श्री विशनो, जाति जाटव (बैरवा) निवासी

किसी प्रकार की मदालखत न करे एवं ना ही अपने सहयोगियो से करावे एवं नाही विवादित जमीन को कही रहन बय करे तथा प्रतिवादी न0 9 के यहॉ रहन रखे एवं रहन बय का पंजीयन गैरसायल संख्या 8 करे न करावे व गैरसायल संख्या 9 विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कर्जा देवे एवं गैरसायल संख्या 1 ता 7 विवादित भूमि पर कर्जा ले। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 1 ता 3 के पिता ठण्डी व रेस्पो0 संख्या 9 रामप्रसाद तथा 10 ता 15 के पिता/पति बदी एवं 16 के पिता लटूरा द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/गैरसायलान 6 व 7 व विशनी के वारिसान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल, परवस रेस्पो0, खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात खसरा न0 20.63,70,97,108,109,115,116,120,122 व 124 कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम धुगड तहसील करौली मे स्थित है। अपीलांट गैरसायलान के नाना पून्या व रामहेत के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिनसे रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 अथवा इनके पूर्वजो का किसी प्रकार का कोई खातेदारी काश्तकारी सबंध नही रहा है। पून्या के मात्र दो लडके सांवलिया व रामहेत थे व तीन लडकिया भौरी मां अपीलांट, गुल्लो व लौहडी थी। रामहेत के मात्र तीन लडकिया विशनी ,किशनी व दौली थी। सांवलिया की शादी ही नही हुई थी और वह अविवाहित था एवं अविवाहित ही फौत हो गया। पून्या के खानदान मे कोई नरीना संतान वंश चलाने वाला व उसकी जायदाद को संभालने वाला नही होने से पून्या अपने जीवनकाल मे अपनी पुत्री भौरी मां अपीलांट संख्या 1 व 2 का व अपीलांट को ग्राम पैटोली से धूगड ले आया और अपने जीवनकाल मे ही समस्त जमीन जायदाद पर काबिज करा दिया। गुल्लो व लौहडी अपने ससुराल मे रही व रामहेत व सांवलिया ने भी दिनांक 17.12.67 को ग्राम पंचायत मे दरखास्त देकर अपीलांट व अपीलांट की मां भौरी को ही अपना वारिस घोषित कर दिया । रामहेत व सांवलिया दोनो ही अपीलांट न0 1 व 2 के साथ शामिल रहे व अपीलांट ने ही उनके कियाकर्म अंतिम संस्कार किये। उनकी पगडी भी अपीलांट के बंधी। इस प्रकार अपीलांट एक मात्र पून्या के वारिस काबिज जायदाद हो गये। सांवलिया,रामहेत के सारे हक हकूक भी उनके जीवनकाल मे अपीलांट मे निहित हो गये। गुल्लो व लोहडी इन जमीनो पर कभी काबिज नही रही और उनके सारे हक हकूक अपीलांट न0 1 व 2 मे निहित हो गये। गुल्लो व लोहडी मे रामहेत की लडकिया विशनी, किशनी व दौली को भात ,जामने इत्यादि सारे सामाजिक कार्य जो पिता पक्ष द्वारा निभाये जाते है अपीलांट द्वारा निभाये गये। रामहेत की लडकिया किशनी,दौली स्वयं व विशनी के वारिसान ने भी दौराने दावा अपीलांट जगराम एवं मनरूप के हक मे उक्त आराजीयात के सबंध मे जो भी हक हकूक खातेदारी काश्तकारी जो उन्हे विरासत बतौर प्राप्त होने थे को बिना किसी दबाब के तर्क कर एक 100/—रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर हिस्सा तर्क (हक त्याग पत्र) तहरीर तकमील कर नोटिरी पब्लिक से दिनांक 12.6.97 को तस्दीक

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कराकर अपीलांटगण को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार उक्त आराजीयात के सारे हक हकूक हम अपीलांट मनफूल व जगराम मे निहित हो चुके है। जिसकी पूरी जानकारी शुरू से ही आज तक उक्त आराजीयात मे हक हकूक रखने वाले सभी व्यक्तियो को व रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 व इनके पूर्वजो ठण्डी,रामस्वरूप,बद्री,छगन एवं उनके भी पूर्वज केशो व लटूरिया को भी रही है। अपीलांटगण का दावा रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 के पूर्वज ठण्डी,रामस्वरूप, बद्री व छगन के विरूद्व न्यायालय हाजा से दिनांक 30.9.85 को डिक्री हो चुका था। जिसकी अपील राजस्व मंडल मे विचाराधीन थी, को छिपाकर गलत व निराधार,मिथ्या तथ्य दर्ज कर अपीलांटगण के विरूद्व रेस्पो0 नया दावा व दर.पेश की गई थी जो रेसज्यूडिकेटा है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इतने मुख्य बिन्दु को अनदेखा कर प्रार्थना पत्र सायलान मे दिनांक 13.3.2001 को मौका रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने का आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। उक्त आदेश हर हाल मे मंसूख किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब व दस्तावेजो पर कोई गौर नही कर वगैर किसी गुणावगुण के आधार पर बिना किसी विवेचना के सरसरी आदेश दिनांक 13.3.2001 को पारित करने मे भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान रेस्पो0 के हक मे आदेश जारी करते वक्त किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन के बिन्दुओ पर कोई विचार नही किया ना ही कोई विवेचना की ना ही अपीलांट के हक हकूको पर होने वाले कुठाराघात को के सबंध मे स्पष्ट विवेचना नही कर विस्तृत आदेश पारित नही किया। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतया विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात मुर्न्दजा अपील पैरा संख्या 2 अपीलांट गैरसायलान के खातेदारी कब्जे काश्त की है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 ना तो खातेदार काश्तकार है ना ही उनके द्वारा उनके विवादित भूमि बाबत कोई हक हकूक है। खातेदारान के विरूद्व किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी माईन्ड एप्लाई किये जल्दबाजी मे दो लाईन का बरवली निर्णय पारित किया है जो हर सूरत मे अपास्त कर अपीलांट की अपील स्वीकार कर दर0 रेस्पो0 ठण्डी वगै0 बनाम गुल्लो वगै0 खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 6.11.20 तक नही थीं दिनांक 6.11.20 को तारीख पेशी के दिनांक को वकील रेस्पो0 द्वारा नई दर0 धनसिह वगै0 बनाम मनफूल वगै0 के मीमो की व दस्तावेजो की नकल उपलब्ध कराने पर हुई। इससे पूर्व ना तो हमको हमारे वकील द्वारा बताया गया ना ही हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी रही। इसलिए जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। इसलिए अपील मे हुए बिलम्ब को क्षम्य किया जाना न्याहित मे आवश्यक है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा न0 1/97 मे पारित निर्णय दिनांक 13.3.2001 को निरस्त किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी तत्समय होने के पश्चात भी अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपील को बिलम्ब से पेश करने के सबंध मे किसी प्रकार का कोई विधिक कारण का उल्लेख नही किया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी तारीख पेशी दिनांक 6.11.20 को रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो एवं दस्तावेजात

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की नकल उपलब्ध कराने पर हुई है। जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय मे सायलान वकालतन उपस्थित हुए है तथा उनके द्वारा जबाब टी आई पेश किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो की अनदेखी की है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजीयात पर अपना अधिकार केवल मात्र पेपर एन्ट्री के आधार पर मानता है जबकि खातेदारी अधिकारो की घोषणा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन दावे मे साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकेगी। जहॉ तक दुसरे वाद का प्रश्न है तो इसके संबंध मे यह तथ्य स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित स्थगन आदेश का इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज नही होने के कारण तथा अपीलांटगण द्वारा आराजी खसरा न0 109 मे से 1/2 हिस्सा गैरसायल संख्या 15 को बेचान कर दिया जाने एवं दावे के विचाराधीन रहते हुए अन्य आराजीयात को बेचान करने पर आमादा होने के कारण ही दुसरा वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त आराजीयात के हक एवं अधिकारो का निर्धारण दावे मे यह होने है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.3.01 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश विधिवत रूप से दिये गये है। उसके बाबजूद भी अपीलांट/गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए दौरोन स्थगन खसरा न0 109 मे से 1/2 हिस्सा का बेचान कर दिया गया है। जो धारा 52 टी पी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत है। जबकि दौराने दावा विवादित जमीन मे से किसी प्रकार का बेचान नही किया जा सकता है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 का किसी प्रकार का हक एंव अधिकार नही है। जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 के हक एवं अधिकार पूर्णतया अपने हिस्से तक निहित है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि रामहेत की लडकिया विशनी,किशनी व दौली द्वारा दौराने दावा अपीलांट जगराम एवं मनरूप के हक मे उक्त आराजीयात के बाबत बिना किसी दबाब के तर्क कर एक 100/–रूपये के स्टाम्प पर हिस्ता तर्क अर्थात हक त्याग किया गया है। यहॉ यह तथ्य समाचीन है कि 100/–रूपये के स्टाम्प के आधार पर किसी के अधिकार त्याग नही किये जा सकते है वह स्टाम्प अनरजिस्टर्ड स्टाम्प है जिसकी कोई विधिक मान्यता कानूनन नही है। इस प्रकार उक्त स्टाम्प प्रभावहीन है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत रेस्पो0 द्वारा तथ्य छिपाकर नया दावा व दर0 पेश की गई है। इस तथ्य के सबंध मे स्पष्ट है कि अपीलांटगण को इसके सबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर चाराजोही करनी चाहिए थी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो का विवेचन करते हुए वादग्रस्त भूमि दौराने दावा किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही हो इस कानूनी बिन्दु के मद्देनजर ही वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे जाने के आदेश विधिक रूप से पारित किये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई मधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। जिससे यह तथ्य सामनें आये है कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमे पक्षकारो के हक एवं अधिकारो का निर्धारण वाद साक्ष्य तय होना शेष है। अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि मे अपना हक एवं अधिकार बताते है एवं रेस्पो0 वादग्रस्त आराजीयात मे अपना हक एवं अधिकार होना बताते है। पक्षकारो के मध्य मूल विवाद मृतक सांमलिया की आराजीयात को लेकर है। हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमे केवल प्राईमाफेसी केस ,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। वादग्रस्त आराजीयात के सबंध मे दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। यदि दौराने दावा वादग्रस्त आराजीयात मे किसी प्रकार का रहन बेचान होता है तो दावे का कोई महत्व नही रहता है। जैसा की दुसरी अपील संख्या 69/21 के अवलोकन से होता है उसके अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.3.2001 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के उपरान्त भी अपीलांटगण द्वारा आराजी ख0न0 109 मे 1/2 हिस्सा जरिये बयनामा गैरसायल संख्या 15 को बेचान किया है जिसके कारण सायलान को पुनः वादग्रस्त आराजीयात के सबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन साबित नही है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आर टी एक्ट के प्रावधानो के दृष्टिगत एवं पक्षकारान के मध्य वाद वाहुलता नही बढे एवं आराजीयात का रहन बेचान नही हो इस महत्वपूर्ण तथ्यो को दृष्टिगत ही वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही वादग्रस्त आराजीयात की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश विधिवत रूप से दिये गये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 1/97 मे पारित निर्णय दिनांक 13.03.2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर